न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 120/2021 (GCMS No. 2021/125) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भरतलाल पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी कमरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
2. रामस्वरूप पुत्र गुलचंद जाति मीना निवासी कमरपुरा तहसील टोडभीम जिला करौली
3. गोविन्दसिंह पुत्र नंगू } जाति मीना निवासी कमरपुरा तहसील टोडाभीम जिला
4. खैमसिंह पुत्र रामजीलाल } करौली

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलक्टर करौली।
2. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालाराम का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर करौली दिनांक 28.07.2021 बावत् आवंटन आदेश 2211 दिनांक 28.07.2021 वांके ग्राम कवरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

नि र्ण य दिनांक : 15.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 28.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 के द्वारा चारागाह भूमि के खसरा नम्बर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

382/1 रकवा 1.65 हैक्टे. में से 0.55 हैक्टे. को ग्राम लालाराम का पुरा तहसील टोडाभीम के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवंटित कर दिया गया है। जिसके कारण गॉव कमरपुरा का कुल रकवा कम हो गया है। मवेशियों के लिए आवश्यक चारागाह जमीन कम पड गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों को गौर किये बिना आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्टगण को जरिये नोटिस तलव किया एवं तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि जिला कलक्टर ने एकतरफा में तैयार रिपोर्टों व प्रस्तावों व रिकार्ड के अनुसार ग्राम कवरपुरा की चारागाह जमीन को ग्राम लालाराम का पुरा तहसील टोडाभीम के उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवंटित कर दिया जबकि ग्राम कवरपुरा में स्वयं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है जो इसी आराजी के नजदीक स्थित है। ग्राम कवरपुरा के विद्यालय को जिस वक्त विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था उसी समय थोडी जमीन आवंटित हुई थी। वर्तमान में यह विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत हो गया है इस विद्यालय को स्वयं जमीन की आवश्यकता है जिसके लिए स्वयं गॉव वाले कई बार उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं। तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी ने समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुये पार्टीवंदी के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर को भेज दिया जिसपर जिला कलक्टर ने जमीन आवंटित कर दी। आवंटित जमीन चारागाह है जिसका आवंटन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कई आदेश में यह कहा है कि चारागाह जमीन का आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर ने आवंटन करने से पूर्व इन आदेशों व राज्य सरकार के निर्देशों को ध्यान नहीं रखकर आवंटन कर दिया। खसरा नम्बर 382/1 रकवा 1.65 हैक्टै. में से 0.55

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हैक्टे. आवंटित करने के कारण गॉव कवरपुरा का कुल रकवा कम हो गया है। इस कम रकवे की पूर्ति ग्राम लालाराम का पुरा के खसरा नम्बर 77 व 108 से की गई है जो कि कानून के विपरीत है। ग्राम कवरपुरा का कुल रकवा कम हो गया व मवेशियों के लिए आवश्यक चारागाह जमीन कम पड गई। जिस रकवे से चारागाह जमीन की पूर्ति की गई है वह अन्य गॉव में स्थित है जो गॉव कवरपुरा से दूर है। गॉव कवरपुरा के मवेशी नहीं जा सकते। सैटअपार्ट में एक गॉव की जमीन की पूर्ति दूसरे गॉव से नहीं की जा सकती है। आवंटन गलत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2021 निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। राजकीय मामलों हेतु चारागाह सैटअपार्ट करने पर आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है, जो किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. लालाराम का पुरा की मांग पर तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के द्वारा खेल मैदान हेतु ग्राम कंवरपुरा की भूमि ख.नं. 382/1 रकवा 1.65 हैक्टे. किस्म चरनौट में से 0.55 हैक्टे. भूमि के आवंटन प्रस्ताव भिजवाये गये थे। आवंटन के प्रस्ताव के साथ–साथ संस्थान का मॉग पत्र, ग्राम पंचायत सिंघनिया का अनापत्ति पत्र (प्रस्ताव) जमाबंदी/गिरदावरी, नक्शा ट्रेस संलग्न किये गये थे। चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम लालाराम का पुरा की भूमि ख.नं. 77 रकवा 0.18 हैक्टे., 108 रकवा 0.37 हैक्टे. कुल रकवा 0.55 हैक्टे. भूमि प्रस्तावित की गई थी। जिला कलक्टर करौली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2211

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

दिनांक 28.07.2021 द्वारा ग्राम कंवरपुरा तहसील टोडाभीम की भूमि ख.नं. 382/1 रकवा 1.65 हैक्टे. किस्म चरनौट में से 0.55 हैक्टे. भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, औषधालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवनों हेतु राजकीय भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लालाराम का पुरा तहसील टोडाभीम के लिए खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग को भूमि आवंटित कर दी गई। आवंटित भूमि एवं चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित भूमि एक ही पटवार मण्डल सिंघनिया में स्थित है। आवंटन प्रस्ताव में ग्राम पंचायत सिंघानिया की अनापत्ति (प्रस्ताव) संलग्न किया गया है। अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे उक्त आवंटन को अविधिमान्य माना जा सके। न्यायालय के मत में अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 विधिपूर्ण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 15.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.06.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर